संख्या– 319 /VI-2 /2012–51(5)2011

प्रेषक,

डा0 अजय कुमार प्रद्योत,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संस्कृति, पर्यटन एवं खेलकूद अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः19 नवम्बर, 2012

विषयः– वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिये राष्ट्रीय सेवा योजना प्रकोष्ठ के लिए प्राविधानित बजट को अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–982/दो–2308/2012–13 दिनांक 27 अगस्त, 2012 तथा शासनादेश संख्या–85/VI-2/2012–51(5)2011 दिनांक 16 अप्रैल, 2012, शासनादेश सं0–110/VI-2/2012–51(5)2011 दिनांक 04 मई, 2012, शासनादेश सं0 206/VI-2/2012–51 (5)2011 दिनांक 01 अगस्त, 2012 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, वित्तीय वर्ष 2012–13 में राष्ट्रीय योजना प्रकोष्ठ हेतु अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक 2204–00–001–0104–00 के अन्तर्गत प्राविधानित कुल ₹ 4161/हजार के सापेक्ष अवशेष ₹ 332/हजार (तीन लाख बतीस हजार) मात्र की धनराशि निम्नानुसार आपके निवर्तन पर रखे जाने एवं निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

(धनराशि ₹ हजार में)

लेखाशीर्षक	मद	कुल प्राविधानित बजट	लेखानुदान के माध्यम से आवंटित बजट	अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने हेतु प्रस्तावित धनराशि
अनुदान सं. 11 लेखाशीर्षक 2204–00–001–01 –0104	01–वेतन	2000	2000	––
	02–मजदूरी	01	01	––
	03–मंहगाई	1360	1360	––
	04–यात्रा भत्ता	100	33	67
	05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	50	17	33
	06–अन्य भत्ते	300	300	––
	07–मानदेय	20	7	13
	08–कार्यालय व्यय	50	17	33
	11–लेखन सामग्री फर्मो की छपाई	30	10	20
	12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	100	33	67

	27–चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	50	17	33
	42–अन्य व्यय	50	17	33
	45–अवकाश यात्रा व्यय	50	17	33
	योग	**4161**	**3829**	**332**

2– उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि उक्त के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश सं0–193/XXVII(1)/2012 दिनांक 30 मार्च, 2012, तथा शासनादेश संख्या–321/XXVII(1)/2012 दिनांक 19 जून, 2012 में निहित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहॉ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों एवं अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए।

3– उक्त धनराशि उन्हीं मदों पर व्यय की जाय जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है। व्यय में मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय। स्वीकृत धनराशि के व्यय के विवरण शासन तथा महालेखाकार को नियमित रूप से भेजे।

4– व्यय बजट एवं परिव्यय की सीमान्तर्गत रहते हुए ही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

5– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक में अनुदान स. 11 के लेखाशीर्षक– 2204–खेलकूद तथा युवा सेवायें–00–001–निदेशन तथा प्रशासन–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–0104–एन0एन0एस0प्रकोष्ठ (100% के0 सहायता) आयोजनागत पक्ष, के नामें डाला जायेगा।

भवदीय,

(डा0 अजय कुमार प्रद्योत)
सचिव

पृष्ठांकन संख्या–319/VI-2/2012–51(5)2011 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड़, देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0 युवा कल्याण मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4– वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
5– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड।
6– एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
अनुसचिव।